Seventeenth Loksabha

an>

Title: Introduction of the Jammu and Kashmir Official Languages Bill, 2020.

HON. SPEAKER: Supplementary List of Business: Item No.18; hon. Minister G. Kishan Reddy *ji*.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Hon. Speaker, Sir, on behalf of hon. Home Minister, Shri Amit Shah, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the languages to be used for the official purposes of the Union territory of Jammu and Kashmir and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the languages to be used for the official purposes of the Union territory of Jammu and Kashmir and for matters connected therewith or incidental thereto."

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जनाब स्पीकर साहब, मुझे अहसास है कि जो विरोध करने का मामला है यह नियम 72 के तहत बहुत सीमित है।

मैं तीन पॉइंट्स पर अपनी बात रखना चाहता हूं। पहला है कि जम्मू-कश्मीर का जब मुल्क के साथ नाता जुड़ा, उससे पहले जम्मू-कश्मीर एक खुद-मुख्तार मुल्क था, उसका अपना वर्ष 1939 का आईन था। वर्ष 1939 का आईन मुल्क के बाकी हिस्सों के बरकस जम्मू-कश्मीर में वर्ष 1950 के बाद भी लागू रहा। वर्ष 1950 के आईन में जम्मू-कश्मीर को यह अख्तियार दिया गया कि वह अपना आईन बनाए। जम्मू-कश्मीर की एक असेम्बली कनवीन हो गयी। वर्ष 1957 में जम्मू-कश्मीर का अपना आईन बन गया। जब आईन बना तो सारे मुल्क ने बधाई दी। उस वक्त के राष्ट्रपति जी और वजीरे आजम ने बधाई दी। मोरार जी भाई और सारे मुल्क ने जम्मू-कश्मीर को आईन बनाने पर बधाई दी। उस आईन में उससे पहले वर्ष 1889 में महाराजा प्रताप सिंह ने उर्दू को जम्मू-कश्मीर की एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था।

वर्ष 1939 में महाराजा हरि सिंह ने और वर्ष 1957 के आईन में भी वही रहा। वर्ष 1957 के आईन के सैक्शन 145 में ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू को रखा गया। मेरा मानना है कि आईन कभी एब्रोगेट नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसे एक नई कांस्टीट्युएंट असेम्बली बनाकर एब्रोगेट किया जाए या रेफरेंडम के ज़रिए किया जाए। पार्लियामेंट के अधिकार में नहीं है कि वह जम्मू-कश्मीर के आईन को एब्रोगेट करे। ऐसी स्थिति में आईन को फ्रेगमेंट या डिवाइड करने से किसी स्टेट का आईन आप खत्म नहीं कर सकते हैं। वह आईन अभी भी लागू है। वहां के आईन के सैक्शन 145 में जो ऑफिशियल लैंग्वेज दी गयी है, यह उसके विरोध में है।

दूसरी बात यह है कि यह जो सारा अख्तियार इनको हासिल है, जिस अख्तियार का यह इस्तेमाल कर रहे हैं, वह रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कर रहे हैं। सैक्शन 47 को सस्पेंड करके, सैक्शन **73** का सहारा लेकर यह कानून इंट्रोड्यूस कर रहे हैं।

जनाब, जो जम्मू-कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उसको सुप्रीम कोर्ट में 12 पीटिशन के माध्यम से चुनौती दी गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में उन पिटीशन में मैरिट पाया है। ये पिटिशन दाखिल करने वाले जम्मू से भी हैं, लद्दाख से भी हैं और हर कम्युनिटी और रिलीजन से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहस के बाद इसको समाज के लिए मंजूर किया है। It has been formally admitted to hearing. सुप्रीम कोर्ट ने इसको पांच जजों की कांस्टीट्युशन बैंच को सुपुर्द किया है। उस कांस्टीट्युशन बैंच के सामने हमने कहा कि इस पर अमल नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारी दरख्वास्त खारिज नहीं की, बल्कि यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई चीज इर्रिवर्सिबल नहीं है, उनको पूरा अख्तियार है। कांस्टीट्युशन प्रोपरायटरी का एक प्रिंसिपल है जो सभी कांस्टीट्युशनल डेमोक्रेसिज़ हैं, वहां पर कांस्टीट्युशन प्रोपरायटरी का पालन किया जाता है। इसका यह मतलब है कि उसका एक अंग चाहे वह लेजिस्लेचर हो या एगज़िक्यूटिव हो, वह एक-दूसरे के अंग का एहतराम करे। जब ऐसी चीज की जा रही है और प्रिएम्प्ट किया जा रहा है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की कांस्टीट्युशन बैंच फैसला देगी। उसके तहत भी इसकी इजाजत नहीं है और लेजिस्लेटिव ऐसा कानून लाने के लिए कम्पीटेंट नहीं है।

तीसरी बात यह है कि अगर यह माना भी जाए कि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत सैक्शन 47 है, लेकिन उसमें असेम्बली को अख्तियार है कि वह इसको इंट्रोड्यूस करे। इसके लिए बिल बनाए। यहां पर सैक्शन 47 को सस्पेंड किया जा रहा है। इसको सस्पेंड करने की क्या आवश्यकता है और जो सस्पेंड करने की पावर्स हैं, क्या उनका सही इस्तेमाल हो रहा है?

जनाब मुझे एक मिनट का वक्त दीजिए।...(व्यवधान) 47 में यह अधिकार असेम्बली का है और 73 में यह है कि फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर एक ज़बान लागू है, ऑफिशियल लैंग्वेज़ है, अंग्रेजी और उर्दू दोनों भाषाएं चल रही हैं। सरकार का सारा काम उसी में चल रहा है। उसमें इसकी क्यों आवश्यकता है? यह जो इमर्जेन्सी प्रॉविज़न है, why this section 73 is pressed into service? जबकि इसकी जरूरत ही नहीं है।

तीसरी बात, आप यह देखिए कि कितनी इम्प्रैक्टिकल बात हो रही है। किसी भी सूबे में, किसी भी प्रांत में, किसी भी जगह पर दो से ज्यादा ज़बानें नहीं हैं। यहां पर कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए पांच भाषाओं को इंट्रोड्यूज़ किया जा रहा है। आप देखिए कि कैसी इम्प्रैक्टिकल बात है। मेरी यह गुजारिश है कि यह जो लेज़िस्लेटिव कॉम्पिटेन्स हैं, वे पार्लियामेंट की हैं ही नहीं, इन सारे पसमंजर में और इस विषय पर कानून बनाने की, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। फॉर्मल एडमिशन हो गया है। समात चल रही है। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट लॉ है, जो अंडर ज्यूडिशियल स्क्रूटनी है। जब तक ये ज्यूडिशियल स्क्रूटनी में है, तब तक आप ये सारे पावर्स इस कानून के तहत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

देखिए कि कल समात के बाद, एक महीने, दो महीने, तीन महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट यह कहे कि वाकी तौर पर आपका रिआर्गेनाइज़ेशन एक्ट बनाने का कोई अधिकार नहीं था और यह संविधान के मुताबिक नहीं है। यह कानून नाजिर अमल नहीं हो सकता है। तो कैसे आप स्टेप्स को रिट्रैक्ट करेंगे? जनाब मेरी यही गुज़ारिश है कि इस कानून को इंट्रोड्यूज़ करने की इजाजत न दी जाए, क्योंकि ये लेज़िस्लेटिव कॉम्पिटेन्स इस पार्लियामेंट की नहीं है। यह कानून आना ही नहीं चाहिए। हमारे होम के जो वजीर-ए-मुमलिकत हैं, मैं उनसे यह गुजारिश करूंगा कि वह इसको विद्ड्रा करें। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, अगर उस फैसले के बाद जरूरत हो, अगर आपके पास इख्तियार हो, तो आप इस इख्तियार को इस्तेमाल कीजिए। अभी आप रिआर्गेनाइज़ेशन एक्ट के इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और यह आइन के बिल्कुल विरुद्ध है।

श्री जी. किशन रेड्डी : मैं आज इस संसद में जो विधेयक लेकर आया हूं, उसको मैं आप सभी के सामने उसको रखना चाहता हूं। पहला यह है कि इस विधेयक में कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं को जम्मू-कश्मीर यूनियन टेरिटोरी के ऑफिशियल लैंग्वेज़ के रूप में घोषित किया जाएगा। लंबे समय से इस क्षेत्र के लोगों की चली आ रही आकांक्षाओं की मांग पूरी होगी। बहुत सालों से लगातार जम्मू-कश्मीर में रहने वाले सभी मजहबों के लोग, वहां के सभी गांवों में रहने वाले लोग, यह मांग कर रहे हैं कि हम अपने प्रांत में जिस भाषा में बात करते हैं, उस भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज़ होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर में ऐसा लगातार कहा जा रहा है।

महोदय, मैं माननीय सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर की राजभाषा सिर्फ उर्दू थी और अंग्रेजी भाषा को ऑफिशियल पर्पज़ के लिए प्रयोग किया जाता था। यूनियन टेरिटोरी जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल ने यह सूचित किया है कि यूनियन टेरिटोरी की जनता के एक बड़े वर्ग की यह मांग है कि उर्दू और अंग्रेजी के साथ-साथ कश्मीरी, डोगरी और हिन्दी भाषाओं को भी राजभाषाओं के रूप में घोषित किया जाए, क्योंकि यूनियन टेरिटोरी और जम्मू-कश्मीर के मेज़ोरिटी के लोग इन भाषाओं को बोलते हैं और इनको समझते हैं। आप सभी को प्रमुख रूप से यह समझना चाहिए।

महोदय, मैं इस सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज़, मैसूर ने यह सूचित किया है कि कश्मीरी, जम्मू-कश्मीर क्षेत्र की भाषा है। यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भी है। इसीलिए, इसे संविधान का दर्जा प्राप्त है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में लगभग 67,97,587 बोलने बाले लोग हैं, जिसमें कश्मीरी बोलने वाले 53.26 प्रतिशत लोग जम्मू-कश्मीर में रहते हैं।

महोदय, जम्मू-कश्मीर में जितनी जनसंख्या है, उसमें कश्मीरी बोलने वाले 53.26 पर्सेंट लोग हैं। मगर 70 सालों से जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी बोलने वालों की लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी। उनकी पॉप्युलेशन 53.26 पर्सेंट जम्मू-कश्मीर में है। इतना हिस्टॉरिकल ब्लंडर पिछले 70 सालों से जम्मू-कश्मीर में हुआ है। अभी लेबर लॉ भी यहां पास हुआ है। भारत में जितनी भी गलतियां हुई हैं, हिस्टॉरिकल ब्लंडर हुए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हम बदलते आ रहे हैं, यह भी बदलने वाले हैं, आज इस पार्लियामेंट के द्वारा बदला जाएगा।

महोदय, सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजिस, मैसूर ने यह भी सूचित किया है कि डोंगरी भाषा, पहले मैंने कश्मीरी भाषा के बारे में बताया है, अभी डोगरी भाषा के बारे बता रहा हूँ, डोगरी भाषा क्षेत्र में प्रमुख रूप से दूसरे दर्जे पर बोली जाती है, दूसरे स्थान पर बोली जाती है। जम्मू-कश्मीर में सबसे ज्यादा बात करते हैं कश्मीरी, और दूसरे नंबर पर डोगरी भाषा बोली जाती है – वह 20.64 पर्सेंट के साथ लगभग दूसरे स्थान पर आती है। उसके बाद हमें उर्दू भाषा की बात भी करनी चाहिए। उर्दू भाषा को भी हम ऑफिशियल लैंग्वेजिस में जोड़ रहे हैं, क्योंकि 70 सालों से ऊर्दू भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको रहना चाहिए। नरेन्द्र मोदी सरकार कोई लैंग्वेज के विषय पर, मज़हब के विषय पर, कास्ट के विषय पर, प्रांत के विषय पर भेदभाव नहीं रखती है, यह इसका उदाहरण है। यह भी सुनना चाहिए कि उर्दू भाषा बोलने वाले अभी भी कितने लोग हैं। 70 सालों में ऑफिशियल लैंग्वेज रहने के बाद भी सन् 2011 सेंसस के आधार पर जम्मू-कश्मीर में उर्दू बोलने वालों की जनसंख्या 0.16 पर्सेंट है, और 0.16 पर्सेंट लोग जम्मू-कश्मीर में उर्दू बोलने वाले हैं। उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के नाते 70 सालों से लगातार चला रहे हैं। कितने

लोग हैं? यह मेरी संख्या नहीं है। यह सेंसस के आधार पर ऑफिशियल रिपोर्ट है – 19,112 लोग जम्मू-कश्मीर में उर्दू भाषा बोलने वाले हैं। उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है और जो 56 पर्सेंट लोग हैं, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया है। यह क्या नीति है? यह कौन सी राजनीति है?

माननीय महोदय, भारत के संविधान के आर्टिकल-343(1) के अनुसार भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, क्योंकि भारत का संपूर्ण संविधान अब संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में लागू है। इसलिए हिंदी को भी प्रपोज्ड जम्मू-कश्मीर ऑफिशियल लैंवेजिस बिल, 2020 में हमने शामिल किया है। सर, इसकी संख्या उर्दू से ज्यादा है। उर्दू बोलने वाले 0.16 पर्सेंट हैं, हिंदी बोलने वाले 2.30 पर्सेंट हैं, 2,79,684 लोग हैं, यह सेंसस के नंबर हैं, मेरे नंबर नहीं हैं। दूसरा, क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 348(1) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों आदि की सभी प्रोसीडिंग्स अंग्रेजी भाषा में होती है। जम्मू-कश्मीर में उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज अंग्रेजी ऑफिशियली यूज़ करते थे। वह अधिकारपूर्वक सर्वसम्मति से जम्मू-कश्मीर में लागू थी। वह भी हम कंटीन्यू कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसिडिंग्स अंग्रेजी भाषा में होती है, इसलिए अंग्रेजी भाषा को प्रपोज्ड बिल में एक भाषा के रूप में शामिल किया जाना भी मोदी सरकार ने आवश्यक समझा है इसलिए अंगेजी को भी रखा है।

महोदय, मैं सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि जम्मू-कश्मीर में पांच ऑफिशियल भाषाओं के अतिरिक्त अन्य रीजनल लैंग्वेजिस भी हैं। उनके विकास के लिए सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर ने जानकारी प्राप्त की है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, आप डिबेट का पूरा जवाब दीजिए? उन्होंने जो ऑब्जेक्शन किया है, उसका जवाब भी दें?

…(व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी: महोदय**,** मैं बताता हूँ। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट रुक जाओ, उसके बाद बोलना।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the languages to be used for the official purposes of the Union territory of Jammu and Kashmir and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI G. KISHAN REDDY: I introduce the Bill.